Ministry of Corporate Affairs

The Investor Education and Protection Fund Authority (Recruitment, Salary and other Terms and Conditions of Service of officers and other employees) Rules, 2016
[approved by the Competent Authority yet to be legislatively vetted]

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the IEPF Authority (Recruitment, Salary and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2016

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** - (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(b) "IEPF Authority" means the Authority as defined under section 125 of the Act;

(c) "Schedule" means the Schedule annexed to these rules.

(2) All the words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the Act shall have the meanings as assigned to them in the Act.

3. **Application. -** These rules shall apply to all the officers and employees of the Authority.

4. **Number of posts, classification and pay band with pay grade. -** The number of posts, their classification and the pay band with grade pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.

5. **Method of recruitment, eligibility etc. -** The method or recruitment, eligibility and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

6. **Procedure for appointment on deputation.** - The following procedure shall be followed for making appointment on deputation to posts wherever prescribed in the Schedule:

(1) The IEPF Authority shall invite applications for these posts.

(2) The selection committee for evaluating the applications received under Sub-Rule 1 above shall be constituted as per column 12 of the schedule.

7. **Period of deputation.** - The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government, shall be three years from the date of beginning of the deputation for the posts carrying grade pay below Rs. 6600 and shall be five years for the posts carrying grade pay of Rs. 8700 or above. The period of deputation may be extended as per extant instruction of the Department of Personnel & Training issued in this regard.

(2) The applicant for deputation should not have attained the age of fifty six years on the last date of receipt of applications. The instructions issued by Department of Personnel and Training shall be applicable to officers and staff serving on deputation basis to the IEPF Authority

8. **Conditions of service.** - The conditions of service of the officers and employees of the Authority including in matters of pay, allowances and leave shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are as the extant time applicable to the officers and employees of the corresponding scale of pay of the Central Government.

9. **Accommodation.** - The officers and employees of the IEPF Authority shall have the option of claiming House Rent Allowance in accordance with the rate prescribed by the Central Government as applicable to officers and employees of the corresponding scales of pay of the Central Government:

Provided that they shall not be eligible for House Rent Allowance in case they are declared eligible for general pool residential accommodation and occupy such a Government accommodation allotted to them.

10. **Disciplinary Proceedings.** – The modalities of disciplinary proceedings against the officers and employees of the Authority shall be notified by the CEO IEPF Authority as

per rules and regulations applicable to officers and employees of the corresponding scales of pay of the Central Government.

11. Disqualification. - No person-

(i) who has entered or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(ii) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

12. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Schedule
(see rule 4)

Name of the Post	Number of Post	Classification	Pay Band with Grade Pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and other educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorptions and percentage of posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption is to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(1) General Manager, IEPF Authority	*1 *Subject to variation depending on work load	Not applicable	Pay Band – 4 (Rs. 37400-67000/-) + Grade Pay Rs.8700/- (Pre-revised) (Annual increment @3%)	Not applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Deputation	By Deputation Officers of the Central or State Government (i) holding analogous post on regular basis. – or-- (ii) with 6 years regular service in PB-3 + Grade Pay of Rs.7600/-(Pre-revised)	The Selection Committee for deputation consists of: (i) Additional Secretary, MCA -- Chairman (ii) Joint Secretary, MCA -- Member (iii) Joint Secretary,	Not Applicable

										--or-- (iii) with 10 years regular service in PB-3 + Grade Pay of Rs.6600/-(Pre-revised) **Desirable:** Having experience in Administration/ Establishment	MCA -- Member	
(2) Assistant General Manager, IEPF Authority	*1 *Subject to variation depending on work load	Not applicable	Pay Band – 3 (Rs. 15600-39100/)+ Grade Pay Rs.5400/- (Pre-revised)	Not Applicable	Not Applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation	By Deputation Officers of the Central or State Government (i) holding analogous post on regular basis. -or- (ii) with 2 years regular service in PB-2 + Grade Pay of Rs.4800/- (Pre-revised) --or- **Desirable**: Having experience in Administration/ Establishment	The Selection Committee for deputation consists of : (i) Additional Secretary, MCA -- Chairman (ii) Joint Secretary, MCA -- Member (iii) Joint Secretary, MCA -- Member	Not Applicable

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2016

[सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किंतु विधायी संवीक्षा की जानी है]

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों को आईईपीएफ प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगें।

2. **परिभाषाएं** - (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;

(ख) "आईईपीएफ प्राधिकरण" से इस अधिनियम की धारा 125 के तहत परिभाषितनुसार प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "अनुसूची" से इन नियमों में संलग्न अधिसूची अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है।

3. **लागू होना** - ये नियम इस प्राधिकरण के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होंगे।

4. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन ग्रेड सहित वेतनमान** - इन पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण और संबंधित बैंड और ग्रेड वेतन वे होंगे जो इन नियमों के उपाबंध अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **भर्ती की पद्धति, अर्हताएं आदि** - उक्त भर्ती की पद्धति, अर्हताएं और इससे संबंधित अन्य मामले वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट है।

6. **प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये प्रक्रिया** - पदों पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करने के लिए जहां कहीं उपरोक्त अनुसूची में विहित हो, करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा-

(1) आईईपीएफ प्राधिकरण इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा।

(2) ऊपर उप नियम 1 के तहत प्राप्त आवेदनों के मूल्यांकन के लिए अनुसूची के स्तंभ 12 के अनुसार चयन समिति का गठन किया जाएगा।

7. **प्रतिनियुक्ति की अवधि**- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पूर्ववर्ती केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संघटन या विभाग में धारित किसी अन्य संवर्ग -

बाह्यपद पर प्रतिनियुक्ति भी है, 6600/-रुपए से नीचे के ग्रेड वेतन वाले पदों पर प्रतिनियुक्ति प्रारंभ होने की तारीख से 3 वर्ष की होगी और 8700/- रु. या ऊपर के ग्रेड वेतन वाले पदों के लिए प्रतिनियुक्ति पांच वर्ष की होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बढ़ायी जा सकती है।

(2) प्रतिनियुक्ति अधिकारियों की आयु आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति के संबंध में जारी निर्देश आईईपीएफ प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्यरत अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए लागू होंगे।

8. **सेवा की शर्तें** - प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की वेतन, भत्ते, छुट्टी और अन्य सेवाशर्तें ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित की जाएंगी जो उस समय केंद्र सरकार के समान वेतनमान वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लागू हों।

9. **वास सुविधा** - आईईपीएफ प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के पास केंद्रीय सरकार द्वारा विहित दर के अनुसार मकान किराया भत्ते का दावा करने का विकल्प होगा जो केंद्रीय सरकार के सदृश वेतनमान के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू होगा।

परंतु यदि वे सामान्य पूल निवास स्थान का पात्र घोषित हैं और वे आवंटित सरकारी ऐसे निवास स्थान का अधिभोग कर रहे हैं तो वे मकान किराए भत्ते के पात्र नहीं होंगे।

10. **अनुशासनिक कार्यवाहियां** - प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की रूपरेखा आईईपीएफ प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा केंद्रीय सरकार के सदृश वेतनमानों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लागू नियमों और विनियमों के अनुसार अधिसूचित की जाएगी।

11. **निर्रहता** - वह व्यक्ति -

(i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

12. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
महाप्रबंधक, आईईपीएफ प्राधिकरण	01* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं	बैंड-4, (37,400-67,000/- रूपए) + ग्रेड वेतन 8700 रूपए (पूर्व संशोधित) (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से)	लागू नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्त की	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श

प्रतिशतता।			किया जाएगा
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के ऐसे अधिकारी: (i) नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपए + ग्रेड वेतन 7600 रुपए (पूर्व संशोधित) में 6 वर्ष सेवा की हो; या (ii) वेतन बैंड-3 + ग्रेड वेतन 6600 रुपए (पूर्व संशोधित) में 10 वर्ष सेवा की हो। **<u>वांछनीय अर्हता:</u>** प्रशासनिक/स्थापना में अनुभव।	प्रतिनियुक्ति हेतु चयन समिति में निम्नलिखित अधिकारी होंगे: (i) अपर सचिव, एमसीए - अध्यक्ष (ii) संयुक्त सचिव, एमसीए - सदस्य (iii) संयुक्त सचिव, एमसीए - सदस्य	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
सहायक महाप्रबंधक, आईईपीएफ प्राधिकरण	01* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं	बैंड-3, (15600-39100/- रूपए) + ग्रेड वेतन 5400 रूपए (पूर्व संशोधित)	लागू नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्त की प्रतिशतता।	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के ऐसे अधिकारी: (i) नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) वेतन बैंड-2 + ग्रेड वेतन 4800 रुपए (पूर्व संशोधित) में 6 वर्ष सेवा की हो। <u>वांछनीय अर्हता:</u> प्रशासनिक/स्थापना में अनुभव।	प्रतिनियुक्ति हेतु चयन समिति में निम्नलिखित अधिकारी होंगे: (i) अपर सचिव, एमसीए - अध्यक्ष (ii) संयुक्त सचिव, एमसीए - सदस्य (iii) संयुक्त सचिव, एमसीए - सदस्य	लागू नहीं